

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा (डीडवाना-कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी
राज. सरकार जरिये तहसीलदार
सा. नावां तह. नावां

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अनेसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत
2. आचू देवी पुत्री नाथीदेवी जाति मेघवाल
3. ओमप्रकाश पुत्र चिमनाराम जाति जाट
4. कैलाश पुत्र मनाराम जाति रेगर
5. किशनलाल पुत्र मनाराम जाति रेगर
6. खीवसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
7. गणेश राम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल
8. चन्द्रपाल पुत्र मनाराम जाति रेगर
9. जीवणराम पुत्र सुवाराम जाति रेगर
10. तेजसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत
11. धापू देवी पत्नि कालूराम जाति मेघवाल
12. नेमीचन्द पुत्र मनाराम जाति रेगर
13. पन्नाराम पुत्र पेमाराम जाति मेघवाल
14. बोदूराम पुत्र भोमाराम जाति खटीक
15. भंवरसिंह पुत्र भेरूसिंह जाति राजपूत
16. भंवरी देवी पुत्री कालूराम जाति मेघवाल
17. भंवरीदेवी पत्नि मनाराम जाति रेगर
18. भीवसिंह पुत्र भेरूसिंह जाति राजपूत
19. मुकेशकुमार पुत्र मनाराम जाति रेगर
20. मंगलीदेवी पत्नि चिमनाराम जाति जाट
21. रूकमादेवी पुत्री नाथीदेवी जाति मेघवाल
22. रूडाराम पुत्र उदाराम जाति बलाई
23. रमणी देवी पुत्री नाथीदेवी जाति मेघवाल
24. शंकर लाल पुत्र नाथीदेवी जाति मेघवाल
25. शेरू देवी पुत्री नाथीदेवी जाति मेघवाल
26. शोभागकंवर पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत
27. सुरज्ञान राम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल
28. सुवाराम पुत्र कालूराम जाति मेघवाल
29. सुवाराम पुत्र लच्छाराम जाति रेगर
30. सोनू देवी पुत्री नाथीदेवी जाति मेघवाल
31. सोहनी देवी पुत्री कालूराम जाति मेघवाल
सा. शेखावतपुरा तह. नावां

CPJ

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमा नम्बर :- 0118/2023

निर्णय दिनांक :- 09.09.2023


आदेश

तहसीलदार नावां ने ग्राम शेखावतपुरा पटवार हल्का देवलीकलां तहसील नावां के खसरा नम्बर 308 रकवा 0.35 हैक्टर किस्म वारानी-1 भूमि में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षों से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमावंदी में गै. मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर वारानी-1 दर्ज हैं। तहसीलदार नावां ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम शेखावतपुरा पटवार हल्का देवलीकलां तहसील नावां के खसरा नम्बर 308 रकवा 0.35 हैक्टर किस्म वारानी-1 भूमि में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमावंदी में वारानी-1 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम शेखावतपुरा पटवार हल्का देवलीकलां तहसील नावां के खसरा नम्बर 308 रकवा 0.35 हैक्टर किस्म वारानी-1 भूमि दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षों से रास्ता कायम हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम शेखावतपुरा पटवार हल्का देवलीकलां तहसील नावां के खसरा नम्बर 308 रकवा 0.35 हैक्टर किस्म वारानी-1 भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमावंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा भूमिधारी तहसीलदार नावां ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु. रास्ता जमावंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.3(2) राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 ऐसे रास्तों को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये है। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

अतः तहसीलदार नावां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम शेखावतपुरा पटवार हल्का देवलीकलां तहसील नावां के खसरा नम्बर 308 रकवा 0.35 हैक्टर किस्म वारानी-1 भूमि में से 0.0720 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। खातेदारों की खातेदारी यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नावां को पालनार्थ भिजवाई जावे।


(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
नावां (डीडवाना-कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)